[2024] 3 एस.सी.आर 46 : 2024 INSC 165

"श्रीनिवास राघवेंद्रराव देसाई (मृत), उनके विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से"

बनाम

वी. कुमार वामनराव @ आलोक एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 7293-7294/2010)

04 मार्च, 2024

[सी.टी. रविकुमार और राजेश बिंदल, *जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

वादी द्वारा वाद अनुसूची संपत्तियों में अपने हिस्से का दावा करते हुए एक वाद दायर किया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय में वर्ष 1965 में हुए कथित विभाजन पर निर्भरता रखी गई, जबकि प्रारंभ में दायर वादपत्र में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने वर्ष 1965 में कथित रूप से हुए विभाजन पर निर्भरता रखते हुए गंभीर त्रुटि की है; तथा क्या अभिलेखित कथनों से परे साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है?"

शीर्ष टिप्पणीयाँ

अभिवचन - अभिवचनों से परे साक्ष्य का प्रश्न - अपीलकर्ताओं का यह निवेदन है कि उच्च न्यायालय का निर्णय इस आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए कि उसने वर्ष 1965 के कथित विभाजन पर निर्भरता रखी, जो कि मूल वादपत्र में अभिवचित तथ्य नहीं था - इस प्रकार की निर्भरता विचारणीय है– औचित्य :

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने वर्ष 1965 में कथित रूप से हुए विभाजन पर निर्भरता रखते हुए गंभीर त्रुटि की, जिसके अनुसार अनुसूची 'A' की संपत्तियाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 के हिस्से में

विशेष रूप से आवंटित बताई गईं। तथ्य यह है कि वाद में वादकारियों का यह अभिवचन तक नहीं था कि वर्ष 1965 में पारिवारिक संपत्तियों का कोई विभाजन हुआ था। वाद दिनांक 26.05.1999 को दायर किया गया था। यहाँ तक कि प्रतिवादियों, विशेषकर प्रतिवादी क्रमांक 1, जो वादकरी क्रमांक 3 के पति तथा वादकारी क्रमांक 1 एवं 2 के पिता हैं, द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में भी यह नहीं कहा गया था कि वर्ष 1965 में कोई विभाजन हुआ था।वादकारियों ने वादपत्र में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर वर्ष 1965 के विभाजन संबंधी अभिवचनों को सम्मिलित करने का प्रयास किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.10.2006 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश को आगे चुनौती नहीं दी गई, जिससे यह अंतिमता को प्राप्त हो गया, जहाँ तक वर्ष 1965 के विभाजन पर आधारित वादकारियों के कथन का संबंध है।यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अभिवचनों से परे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अभिवचनों में कोई त्रुटि हो और पक्षकार अपने-अपने मामले को भली-भांति जानते हुए साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हों ताकि न्यायालय उस साक्ष्य पर विचार कर सके। वर्तमान मामले में, वादकारियों द्वारा वर्ष 1965 के विभाजन के संदर्भ में विशेष रूप से अभिवचनों में संशोधन का प्रयास किया गया था, किंतु वह अस्वीकार कर दिया गया। ऐसी स्थिति में, वर्ष 1965 के विभाजन से संबंधित साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता।(पैरा 14 एवं 15)

उदघृत निर्णयजन्य विधि

जेहल तांती और अन्य बनाम नागेश्वर सिंह (मृत)विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से, 2013 (14) SCC 689; घनश्याम सारडा बनाम शशिकांत झा, निदेशक, मेसर्स जे. के. जूट मिल्स कंपनीलिमिटेड और अन्य, (2017) 1 SCC 599; भगवती प्रसाद बनाम चंद्रमौली, [1966] 2 SCR 286 : AIR 1966 SC 735 - का संदर्भ दिया गया।)

प्रमुख शब्दों की सूची

अभिवचन; पारिवारिक संपत्ति का विभाजन; अभिवचनों से परे साक्ष्य।

मामले की उत्पत्ति

नागरिक अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील संख्याएँ 7293-7294, वर्ष 2010

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा RFA संख्याएँ 1463 एवं 1782, वर्ष 2007 में दिनांक 19.12.2008 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अधिवक्तागण

एम. गिरीश कुमार, एस. के. कुलकर्णी, अंकुर एस. कुलकर्णी, सुश्री उदिताचक्रवर्ती, सुश्री शलाका श्रीवास्तव, सुश्री प्रिया एस. भालेराव, वरुणकंवल, । अधिवक्ता -अपीलकर्ताओं के लिए.

बसव प्रभु एस पाटिल, वी. चिताम्ब्रेश, वरिष्ठ वकील, अंकोलेकर गुरुदत्त, कोराडा प्रमोद कुमार, अमिथ जे, पुरूषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, अमित, श्रीमती वाणी व्यास, ई. सी. विद्या सागर, अधिवक्ता - उत्तरदाताओं के लिए ।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

राजेश बिंदल, जे. न्यायमूर्ति

1. वादी द्वारा दायर अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने के पश्चात, प्रतिवादी क्रमांक 7 ने उच्च न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है।

<u>मामले के तथ्य</u>

2. एक वाद कुमार वामनराव उर्फ आलोक, पुत्र सुधीन्द्र देसाई (वादकारी क्रमांक 1), कुमार व्यास उर्फ प्रतीक सुधीन्द्र देसाई (वादकारी क्रमांक 2) तथा अरुणा, पत्नी सुधीन्द्र देसाई (वादकारी क्रमांक 3), जो क्रमशः प्रतिवादी क्रमांक 1 (सुधीन्द्र) के पुत्र एवं पत्नी हैं, द्वारा दायर किया गया, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 के माता-पिता तथा वादकारी क्रमांक 1 एवं 2 की परदादी को पक्षकार बनाया गया। कुमारी अरुंधति (प्रतिवादी क्रमांक 5), रामाराव (प्रतिवादी क्रमांक 2) की पुत्री एवं प्रतिवादी_क्रमांक 1 की बहन थी। मार्तंडप्पा (प्रतिवादी क्रमांक 6) को भूमि के एक भाग का प्रस्तावित क्रेता बताया गया। श्रीनिवास राघवेंद्रराव देसाई (प्रतिवादी क्रमांक 7) को दिनांक 02.01.2001 के आदेश द्वारा वाद में पक्षकार बनाया गया।

2.1 प्रतिवादी क्रमांक 7, उच्च न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील में है। विशेष अनुमति याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर, उनके विधिक प्रतिनिधियों को दिनांक 23.03.2015 के आदेश द्वारा अभिलेख पर लाया गया। प्रहलाद (प्रतिवादी क्रमांक 8), जो प्रतिवादी क्रमांक 7 का भाई है, को दिनांक 11.07.2003 के आदेश द्वारा वाद में पक्षकार बनाया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी - मुरुघराजेन्द्र विद्यापीठ (प्रतिवादी क्रमांक 9) को दिनांक 08.06.2005 के आदेश द्वारा पक्षकार बनाया गया, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 7 ने दिनांक 25.07.2001 के विक्रय विलेख के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण संख्या 106/2 को प्रतिवादी क्रमांक 9 के पक्ष में विक्रय कर दिया था।

3. वादकारियों द्वारा वाद अनुसूची संपत्तियों में 5/9वें हिस्से का दावा करते हुए वाद दायर किया गया। इसके अतिरिक्त, लाभ हानि प्रदान करने की प्रार्थना भी की गई। वादपत्र के साथ, उन संपत्तियों का निम्नलिखित अनुसूची संलग्न किया गया, जिनका विभाजन मांगा गया था।

अनुसूची - 'A'

प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम दर्ज संपत्तियाँ

क्र.सं.	**तालुका**	**गाँव**	**आर.एस. ब्लॉक नं.**	**.क्षेत्रफल (A-G)**	**सहायक रु.पै**	**मूल्यांकन**
1.	धारवाड़	धांडिकोप्पा	50/1	4-6-1/2	11-49	₹ 50,000/-
2.	धारवाड़	सप्तापुर	106/2	3-14	9-28	₹ 50,000/-
3.	धारवाड़	लकमन्हल्ली	86/2B	7-32	26-32	₹ 80,000/-
4.	धारवाड़	केलगेरी	69	6-10	6-53	₹ 50,000/-
5.	धारवाड़	केलगेरी	152/4	7-01	20-82	₹ 70,000/-

अनुसूची - 'B'

प्रतिवादी क्रमांक 2 के नाम दर्ज संपत्तियाँ

क्र.सं.	**तालुका**	**गाँव**	**आर.एस. ब्लॉक नं.**	**क्षेत्रफल (A-G)**	**सहायक रु.पै**	**मूल्यांकन**
1.	धारवाड़	सप्तापुर	120	—	3-20	₹ 40,000/-
2.	धारवाड़	कनवी होन्नापुर	87A	—	2-06	₹ 10,000/-
3.	हुबली	सुतगट्टी	9A/2	—	2-01	₹ 10,000/- (इस संपत्ति में 1/2 हिस्सा आर.वी. देसाई, प्रतिवादी क्रमांक 1 को)

4.	धारवाड़ शहर –आर.एस. नं. 55A प्लॉट नं. F-2, लकमन्हल्ली गाँव, भूतल, विद्यागिरी, सेंचुरी पार्क स्थित मकान, नगरपालिका क्रमांक 14184/A//0B2) ₹ 2,00,000/-					
5.	धारवाड़	नुग्गिकेरी गाँव	44/4	7-00	1-53	₹ 70,000/-

अनुसूची - 'C'

प्रतिवादी क्रमांक 4 के पति वी. एच. देसाई के नाम दर्ज संपत्ति

क्र.सं.	**तालुका**	**गाँव**	**आर.एस. नं. ब्लॉक नं.**	**क्षेत्रफल (A-G)**	**सहायक रु.पै**	**मूल्यांकन**
1	हुबली तालुका	सुत्तगट्टी	9A/9	1-18	1-53	₹10,000/-

अनुसूची - 'D'

प्रतिवादी क्रमांक 4 के पति वी. एच. देसाई के नाम दर्ज संपत्ति

क्र.सं.	**तालुका**	**गाँव**	**आर.एस. नं. ब्लॉक नं.**	**क्षेत्रफल (A-G)**	**सहायक रु.पै**	**मूल्यांकन**
1	धारवाड़	धांडिकोप्पा	ब्लॉक नं. 9	5-33	20-81	₹50,000/- (प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 4 के नाम दर्ज)

2	धारवाड़	होसयल्लापुर	ब्लॉक नं. 170	16-32	46-37	₹60,000/- (उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 4 के नाम
3	धारवाड़	मुराकट्टी	ब्लॉक नं. 69	13-10	22-99	₹ 70,000/- (प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 3 के नाम दर्ज)
4	**मकान संबंधी संपत्तियाँ**					
क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल	मूल्यांकन	क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल
(a)	देसाई	गली स्थित मकान,	CTS नं. 1292	32 वर्ग गज		₹50,000/- प्रतिवादी क्रमांक 2एवं 4 के नाम दर्ज
(b)	देसाई	गली स्थित मकान,	CTS नं. 1295	676 वर्ग गज		₹1,00,000/- (प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 4 के नाम दर्ज)

4. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री द्वारा यह निर्धारित किया कि वादकारी क्रमांक 1 एवं 2 तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 एवं 5 निम्नलिखित संपत्तियों में 1/6 (एक-षष्ठम) हिस्से के हकदार हैं:

अनुसूची 'A': सर्वेक्षण सं. 50/1, 86/2B, 69, 152/4

अनुसूची 'B': 87/A, 9A/2

अनुसूची 'D': ब्लॉक सं. 9, ब्लॉक सं. 170 (8 एकड़ गुंठा), CTS सं. 1292, CTS सं. 1295

प्रतिवादी क्रमांक 2 को अनुसूची 'B' की मद सं. 4 का अधिकारी ठहराया गया।

प्रतिवादी क्रमांक 1 को अनुसूची 'D' की मद सं. 3 का अधिकारी ठहराया गया।

नियमित सर्वेक्षण संख्याएँ 106/2, 120 एवं 9A/9 से संबंधित वाद खारिज कर दिया गया। लाभ हानि प्रदान नहीं किए गए। वाद प्रतिवादी क्रमांक 6 से 9 के विरुद्ध भी खारिज कर दिया गया।

5. विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से आहत होकर, उच्च न्यायालय के समक्ष दो अपीलें दायर की गईं। आर.एफ.ए. सं. 1463/2007 वादकारियों द्वारा दायर की गई, जिसमें उनके आंशिक दावे के निरस्तीकरण के विरुद्ध आपत्ति उठाई गई। आर.एफ.ए. सं. 1782/2007 प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 एवं 5 द्वारा दायर की गई, जिसमें वादकारियों को प्रत्येक को 1/6 (एक-षष्ठम) हिस्सा प्रदान किए जाने को अत्यधिक बताते हुए चुनौती दी गई। अनुसूची 'B' की क्र.सं. 5 (नियमित सर्वेक्षण सं. 44/4) संबंधी विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को भी चुनौती दी गई।

उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलों का निस्तारण एक साझा निर्णय द्वारा करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष दिए:

- अनुसूची 'A' की संपत्तियाँ (नियमित सर्वेक्षण सं. 50/1, 106/2, 86/2B, 69 एवं 152/4) प्रतिवादी क्रमांक 1 की विशिष्ट संपत्तियाँ हैं, क्योंकि ये वर्ष 1965 के विभाजन में उन्हें आवंटित की गई थीं। अतः वादकारियों तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 को उक्त संपत्तियों में प्रत्येक को 1/4 (एक-चतुर्थांश) हिस्सा प्राप्त होगा।
- वादकारियों का अनुसूची 'B' (नियमित सर्वेक्षण सं. 120, 87A, 9A/2, 44/4) एवं अनुसूची 'C' (नियमित सर्वेक्षण सं. 9A/9) की संपत्तियों में तथा अनुसूची 'D' की मद सं. 1 (ब्लॉक सं. 9) एवं मद सं. 2 (ब्लॉक सं. 170) में हिस्सा मांगने का दावा अस्वीकृत किया गया।
- अनुसूची 'A' की मद सं. 2 (नियमित सर्वेक्षण सं. 106/2) का प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 9 के पक्ष में किया गया विक्रय शून्य एवं अवैध घोषित किया गया तथा वादकारियों एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 पर बाध्यकारी नहीं माना गया।
- अनुसूची 'D' की मद सं. 4 (CTS सं. 1292 एवं 1295) की संपत्तियाँ वादकारियों एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच समान रूप से (प्रत्येक को 1/12 हिस्सा) विभाजित की जानी हैं।
- अनुसूची 'D' की मद सं. 3 (ब्लॉक सं. 69) में आधे हिस्से के संबंध में मामला विचारण न्यायालय को पुनः भेजा गया, ताकि वादकारियों को यह सिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके कि उक्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा संयुक्त परिवार की निधि से क्रय की गई थी।
- अनुसूची 'B' की मद सं. 5 (नियमित सर्वेक्षण सं. 44/4) के संबंध में मामला भी विचारण न्यायालय को वापस भेजा गया। वादकारियों को उन संपत्तियों के संबंध में, जिनमें उन्हें हिस्सा प्रदान किया गया है, प्रतिवादी क्रमांक 1 से लाभ हानि प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान किया गया।

6. उच्च न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से आहत होकर, प्रतिवादी क्रमांक 7 (श्रीनिवास राघवेंद्रराव देसाई) ने दो विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर कीं। अनुमति प्रदान की गई। इस न्यायालय के समक्ष वाद लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने पर, उनके

विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया गया। वर्तमान अपीलों में उठाया गया विवाद केवल नियमित सर्वेक्षण सं. 44/4 एवं नियमित सर्वेक्षण सं. 106/2 से संबंधित है, जिसे प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा दिनांक 25.07.2001 के विक्रय विलेख के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 9 को विक्रय किया गया था।"

<u>तर्क</u>

7. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि उसने वर्ष 1965 के कथित विभाजन पर निर्भरता रखी है, जबकि यह तथ्य प्रारंभ में दायर वादपत्र में अभिवचित नहीं था। अभिवचनों से परे प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में अभिवचन जोड़ने हेतु वादपत्र में संशोधन का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.10.2006 के आदेश द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया, और उक्त आदेश को आगे चुनौती नहीं दी गई। यहाँ तक कि वादकारियों द्वारा दायर प्रतिवेदन में इस संबंध में लिए गए अभिवचनों को भी विचारण न्यायालय ने हटाने का आदेश दिया।विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों का अभिवचित मामला यह था कि परिवार के सदस्यों के बीच दिनांक 30.08.1984 को विभाजन हुआ था। उक्त विभाजन विलेख सिविल वाद सं. 80/1995 (प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा दायर) में विवाद का विषय रहा, जिसमें इस पर विचार किया गया एवं आदेश पारित हुआ।

7.1 उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.06.1995 की डिक्री को, जबकि किसी भी पक्ष द्वारा उसे चुनौती नहीं दी गई थी, निरस्त कर गंभीर त्रुटि की। यह मुद्दा निम्न अपीलीय न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न ही नहीं होता था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 7 ने विचारण न्यायालय के किसी भी अंतरिम आदेश का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि जिस समय ऐसा आदेश पारित हुआ, उस समय वह वाद का पक्षकार ही नहीं था। उसे दिनांक 02.01.2001 को ही वाद में पक्षकार बनाया गया था।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3/वादकारियों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं का संपूर्ण प्रयास केवल वादकारियों को पारिवारिक संपत्ति में उनके वैध हिस्से से वंचित करने का है। वर्ष 1965 के विभाजन पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से निर्भरता रखी गई है, जबकि वर्ष 1984 का विभाजन संदिग्ध प्रतीत होता है। वास्तव में, सभी पारिवारिक सदस्यों ने मिलकर वादकारियों के वैध दावे को नकारने का प्रयास किया है।यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 9 के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख, विचारण न्यायालय के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए निष्पादित किया गया है, अतः वह शून्य है और उसे उपेक्षित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में जेहल तांती एवं अन्य बनाम नागेश्वर सिंह (मृत) एलआर के माध्यम से,7 और घनश्याम सारदा बनाम शशिकांत झा, निदेशक, मेसर्स जे.के. जूट के निर्णयों पर निर्भरता रखी गई।आगे यह भी तर्क दिया गया कि जब पक्षकार विवादित मुद्दों को जानते हुए वाद का परीक्षण करते हैं, तो अभिवचनों के अभाव में भी प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस संदर्भ में भगवती प्रसाद बनाम चंद्रमौल के निर्णय पर निर्भरता रखी गई

8.1 नियमित सर्वेक्षण सं. 106/2 की संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा अपने हितों की रक्षा हेतु प्रतिवादी क्रमांक 9 के पक्ष में विक्रय की गई थी। यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय को अवैध ठहराया गया, तथापि प्रतिवादी क्रमांक 9 द्वारा इसके विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई है। केवल प्रतिवादी क्रमांक 7 ने ही इसे चुनौती दी है। यह सत्य है कि वर्ष 1965 के विभाजन संबंधी अभिवचन उठाने हेतु वादपत्र में संशोधन का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था, तथापि उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि प्रतिवादी क्रमांक 7 अपने अधिकारों की पुष्टि हेतु अभिवचनों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने का अधिकारी है, तथा विभाजन वाद में विचारण न्यायालय विधि के अनुसार राहत को उपयुक्त रूप से परिवर्तित कर हिस्सों का निर्धारण करने से प्रतिबंधित नहीं है।

8.2 प्रतिवादी क्रमांक 9 के अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपनाया, क्योंकि दोनों का हित समान है, तथा यह भी कहा कि वह प्रतिवादी क्रमांक 7 से प्रतिफल का भुगतान कर संपत्ति का सद्भावनापूर्ण क्रेता है, जो एक सार्वजनिक संस्था है।

9. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 के अधिवक्ता के तर्कों के प्रत्युत्तर में, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा लिया गया रुख पूर्णतः विरोधाभासी था, क्योंकि उसके अधिवक्ता ने भूमि अधिकरण के समक्ष की गई कार्यवाही पर निर्भर करते हुए तर्क प्रस्तुत किए, जबकि यह उसका विचारण न्यायालय के समक्ष अभिवचित मामला ही नहीं था। प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 25.07.2001 को निष्पादित किया गया था। इसकी जानकारी प्रतिवादी क्रमांक 1 को भली-भांति थी, तथापि यदि प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा कोई त्रुटि की गई होती, तो भी उसने अपने जीवनकाल में उक्त विक्रय को चुनौती नहीं दी। इसका कारण यह था कि उक्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 7 के हिस्से में आई थी।

10. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन किया गया।

11. पक्षकारों के पारस्परिक संबंधों को समझने हेतु, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पारिवारिक वंशावली प्रस्तुत करना उपयुक्त समझा जाता है:

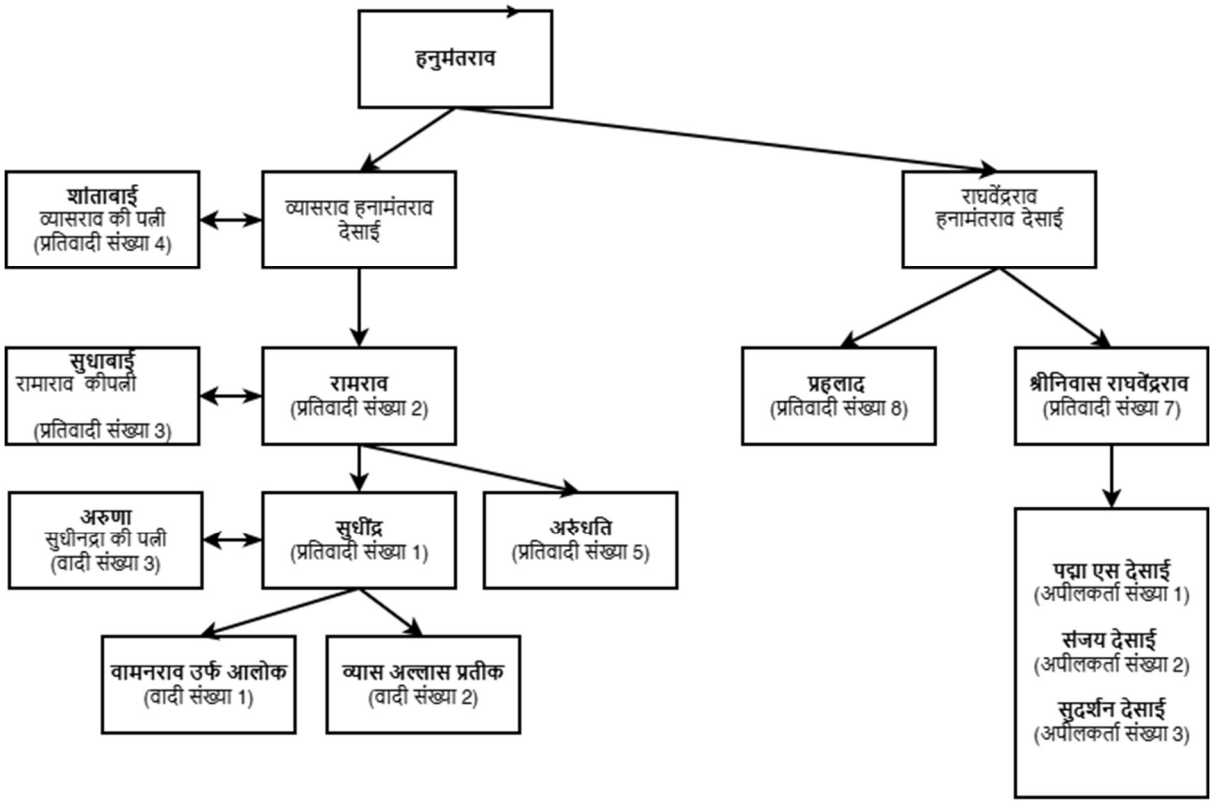

12. उच्च न्यायालय ने अंततः यह पाया कि अनुसूची 'A' में सम्मिलित संपत्तियाँ वर्ष 1965 के विभाजन में प्रतिवादी क्रमांक 1 को आवंटित विशिष्ट संपत्तियाँ हैं। वादकारियों तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्रत्येक को 1/4 (एक-चतुर्थांश) समान हिस्सा प्राप्त होगा।

12.1 अनुसूची 'B', 'C' तथा अनुसूची 'D' की मद सं. 1 एवं 2 की संपत्तियों में वादकारियों का हिस्सा मांगने का दावा अस्वीकृत कर दिया गया।

12.2 अनुसूची 'A' की मद सं. 2 की संपत्ति का प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 9 के पक्ष में किया गया विक्रय शून्य एवं अवैध घोषित किया गया, अतः वह वादकारियों एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 पर बाध्यकारी नहीं है।

12.3 वादकारियों एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 को अनुसूची 'D' की मद सं. 4 में 1/4 (एक-चतुर्थांश) हिस्सा प्रदान किया गया, अर्थात प्रत्येक को 1/12 (एक-बारहवाँ) हिस्सा।

12.4 अनुसूची 'D' की मद सं. 3 की संपत्ति में 1/2 हिस्से के संबंध में मामला विचारण न्यायालय को वापस भेजा गया, ताकि वादकारी क्रमांक 1 को यह सिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके कि उक्त 1/2 हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा संयुक्त परिवार की निधि से क्रय किया गया था।

12.5 अनुसूची 'B' की मद सं. 5 के संबंध में भी मामला विचारण न्यायालय को वापस भेजा गया, ताकि प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 7 को यह सिद्ध करने हेतु आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके कि विभाजन में प्रतिवादी क्रमांक 7 के हिस्से में कितनी भूमि आई थी। अन्य शब्दों में, यह निर्धारित किया जाना था कि नुग्गिकेरी ग्राम के सर्वेक्षण सं. 44/4 में से 4 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक 7 के हिस्से में आई थी या संपूर्ण 7 एकड़। प्रतिवादी क्रमांक 7 एवं 2 को अपने-अपने मामले को सिद्ध करने हेतु अतिरिक्त अभिवचन दाखिल करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।

13. वादकारियों द्वारा दायर वाद में, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 (जो वादकारी क्रमांक 1 एवं 2 के पिता एवं दादा-दादी हैं) द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में स्पष्ट रूप से यह रुख अपनाया गया कि नियमित सर्वेक्षण सं. 106/2 की संपत्ति उत्तरदायी प्रतिवादियों के संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं है, बल्कि वह राघवेंद्रराव की शाखा को चली गई थी, अतः उसे विभाजन का विषय नहीं बनाया जा सकता।

14. जैसा कि उच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है, वर्ष 1965 में पक्षकारों के मध्य हुए कथित मौखिक विभाजन पर अत्यधिक निर्भरता रखी गई। हमारे मत में, उच्च न्यायालय ने वर्ष 1965 में कथित रूप से हुए विभाजन पर निर्भरता रखते हुए गंभीर त्रुटि की, जिसके अनुसार अनुसूची 'A' की संपत्तियाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 के हिस्से में विशेष रूप

से आवंटित बताई गई। तथ्य यह है कि वाद में वादकारियों का यह अभिवचन तक नहीं था कि वर्ष 1965 में पारिवारिक संपत्तियों का कोई विभाजन हुआ था। वाद दिनांक 26.05.1999 को दायर किया गया था। यहाँ तक कि प्रतिवादियों, विशेषकर प्रतिवादी क्रमांक 1, जो वादकारी क्रमांक 3 के पति एवं वादकारी क्रमांक 1 एवं 2 के पिता हैं, द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में भी वर्ष 1965 में किसी विभाजन का उल्लेख नहीं किया गया था।काफी विलंब से वादकारियों ने वादपत्र में संशोधन कर वर्ष 1965 के विभाजन संबंधी अभिवचन जोड़ने का प्रयास किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.10.2006 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश को आगे चुनौती नहीं दी गई, फलस्वरूप यह अंतिमता को प्राप्त हो गया, जहाँ तक वर्ष 1965 के विभाजन पर आधारित वादकारियों के कथन का संबंध है।

15. इस विधि सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है कि अभिवचनों से परे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभिवचनों में कोई त्रुटि रही हो और पक्षकार अपने-अपने मामले को भली-भांति जानते हुए साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हों, जिससे न्यायालय उस साक्ष्य पर विचार कर सके। वर्तमान मामले में, वादकारियों द्वारा वर्ष 1965 के विभाजन के संबंध में अभिवचनों में विशेष रूप से संशोधन का प्रयास किया गया था, किंतु उसे अस्वीकार कर दिया गया। ऐसी स्थिति में, वर्ष 1965 के विभाजन से संबंधित साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता।

16. वादकारियों द्वारा दायर प्रतिवेदन में वर्ष 1965 के विभाजन के संबंध में लिया गया अभिवचन उनके किसी काम नहीं आ सकता, क्योंकि उस संबंध में संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। विचारण न्यायालय ने वादकारियों द्वारा प्रतिवेदन में लिए गए वर्ष 1965 के मौखिक विभाजन के अभिवचन की उपेक्षा करते हुए सही किया, क्योंकि इस संबंध में संशोधन पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका था। जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति नहीं है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

17. प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा दायर लिखित कथन में वर्ष 1984 के विभाजन तथा नियमित सर्वेक्षण सं. 106/2 के उसके हिस्से में आने के संबंध में स्पष्ट अभिवचन किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष दायर अतिरिक्त लिखित कथन में भी प्रतिवादी क्रमांक 7 ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि नियमित सर्वेक्षण सं. 44/4 की संपत्ति दिनांक 30.08.1984 को हुए पारिवारिक विभाजन में विशेष रूप से उसके हिस्से में आई थी। इस तथ्य की पुष्टि सिविल वाद सं. 80/1995, शीर्षक "श्री रामाराव व्यासराव देसाई बनाम डॉ. श्रीरामाराव राघवेंद्रराव देसाई एवं अन्य", निर्णय दिनांक 23.06.1995 से होती है, जिसमें वर्ष 1984 के विभाजन का उल्लेख किया गया है। उक्त वाद में प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता, जो व्यासराव के एकमात्र पुत्र थे, तथा राघवेंद्रराव के दो पुत्र, अर्थात प्रहलाद एवं श्रीनिवास राघवेंद्रराव, पक्षकार थे। उच्च न्यायालय ने उक्त समझौता डिक्री को, जबकि किसी भी पक्ष द्वारा उसे चुनौती नहीं दी गई थी, त्रुटिपूर्ण रूप से अवैध ठहराया। यह विषय विचारण न्यायालय के समक्ष भी नहीं उठाया गया था।

18. फलस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा यह दर्ज किया गया निष्कर्ष कि अनुसूची 'A' की सभी संपत्तियाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 को आवंटित की गई थीं, निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार आदेशित किया जाता है।"

19. आश्चर्यजनक रूप से, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अपनाए गए रुख में पूर्णतः परिवर्तन देखा गया है। प्रारंभ में वादकारियों एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के मध्य गंभीर विवाद था, जैसा कि वादपत्र में लगाए गए आरोपों–जैसे ताश खेलना, मद्यपान करना आदि–से स्पष्ट होता है। इसी कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवनकाल में ही विभाजन का वाद दायर किया गया था। तथापि, वर्तमान में दोनों ने आपस में मिलकर कार्य किया है। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 1 अब वादकारियों के मामले का समर्थन कर रहा है। पक्षकारों का ऐसा आचरण, जो घड़ी के पेंडुलम की भाँति बदलता रहता है, वस्तुतः न्यायालय को ही परीक्षा में डाल देता है।

20. यदि दिनांक 30.08.1984 के विभाजन के विवरण का अवलोकन किया जाए, तो नियमित सर्वेक्षण सं. 106/2 की संपत्ति अपीलकर्ता के हिस्से में जाती है। अन्यथा भी, विवादित संपत्ति, अर्थात नियमित सर्वेक्षण सं. 106/2, जिस पर वर्तमान में वादकारी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 दावा कर रहे हैं, प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा दिनांक 25.07.2001 के पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 9 को विक्रय कर दी गई थी। इसकी जानकारी प्रतिवादी क्रमांक 1 को भली-भांति थी। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया कि भले ही विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा, प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से निष्पादित बताए गए हों, तथापि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने इसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 7 के पक्ष का समर्थन किया, क्योंकि विवादित संपत्ति पारिवारिक विभाजन में उसके हिस्से में आई थी।अतिरिक्त रूप से, यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 उक्त संपत्ति का वास्तविक स्वामी होता और उसे उक्त विक्रय लेन-देन पर कोई आपत्ति होती, तो वह अपने जीवनकाल में, जानकारी होने के बावजूद, इसे चुनौती देता; किंतु उसने ऐसा नहीं किया। इससे यह भी स्थापित होता है कि वर्ष 1984 के विभाजन में उक्त संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 7 के हिस्से में आई थी।व्यासराव हनमंथराव देसाई एवं राघवेंद्रराव हनमंथराव देसाई के मध्य दिनांक 30.08.1984 को संपन्न विभाजन विलेख, जिनके उत्तराधिकारी अपने-अपने हिस्सों के संबंध में वादरत हैं, का सार इस प्रकार है:"

श्री व्यासराव हनुमंतराव देसाई और स्वर्गीय कैप्टन राघवेंद्रराव हनुमंतराव देसाई से संबंधित संपत्ति के हिस्से पर विस्तार से चर्चा की गई, और निम्नलिखित समझौतों पर मैंने अपनी सहमति दी। वे लोग जो गुरुवार, 30 अगस्त, 1984 को उपस्थित थे:

उपस्थित व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. श्री आर.वी. देसाई (श्री वी.एच. देसाई के पुत्र)

2. मेजर पी.आर. देसाई

3. डॉ. आर.एस. देसाई

(स्वर्गीय कैप्टन आर.एच. देसाई के पुत्र)

श्री वी. एच. देसाई की उपस्थिति में तथा उनके परामर्श के अनुसार, विभाजन पर सहमति व्यक्त की गई और निम्नलिखित प्रकार से किया गया।

	श्री वी. एच. देसाई				स्वर्गीय कैप्टन आर. एच. देसाई		
	ग्राम	(A-G)	सर्वे.नं./ ब्लॉ नं.		ग्राम	(A-G)	सर्वे.नं./ ब्लॉ नं.
1.	केलगेरी	4-18	69	1.	सप्तापुर	3-00	108/2
2.	केलगेरी	4-10	152/2	2.	सप्तापुर	3-14	106/2
3.	नुग्गिकेरी	5-03	37	3.	नुग्गिकेरी	13-37	31
4.	लकमन्हल्ली	7-37	86/2B	4.	नुग्गिकेरी	7-00	44
5.	डोंडिकोप्पा	5-35	9	5.	लकमन्हल्ली	6-08	3/2
6.	सुतगट्टी	3-37	13	6.	नारायणपुर	5-19	7+14B/ 2
7.	होसयल्लापुर	8-16	126/1	7.	होसयल्लापुर	8-16	126/2
		---				---	
		48-30				48-10	
		---				---	

"सप्तापुर का सर्वेक्षण सं. 109 दर्शाया नहीं गया है, तथापि उसे दोनों पक्षों के मध्य समान रूप से सम्मिलित किया गया है, जो कि अमरूद के बाग के रूप में है।

निम्नलिखित भूमि का विभाजन नहीं किया गया है, क्योंकि वे वास्तविक कब्जे में नहीं हैं तथा उनके संबंध में वाद/मामले लंबित हैं। उक्त मामलों के निस्तारण के पश्चात इनका समान रूप से विभाजन किया जाएगा। उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है:"

ग्राम	क्षेत्रफल (A-G)	क्रमांक/ब्लॉक नं.
1) नुग्गिकेरी	3-34	129
2) नुग्गिकेरी	1-00	31
3) नुग्गिकेरी	1-00	37
4) कनवीहोन्नापुर	2-09	87/A
5) कनवीहोन्नापुर	1-38	81''

21. नियमित सर्वेक्षण सं. 44/4 की संपत्ति के संबंध में भी, हम यह नहीं पाते कि मामले को पुनः विचारण न्यायालय को भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्ष 1984 के पारिवारिक विभाजन में उक्त सर्वेक्षण संख्या स्पष्ट रूप से स्वर्गीय राघवेंद्रराव हनमंथराव देसाई के हिस्से में आवंटित की गई थी, जो अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती थे। उसमें क्षेत्रफल भी स्पष्ट रूप से सात एकड़ अंकित है, अतः इस संबंध में कोई विवाद शेष नहीं रहता।

22. जहाँ तक प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 9 के पक्ष में किया गया विक्रय, विचारण न्यायालय के अंतरिम आदेश का उल्लंघन है, इस संबंध में इतना कहना पर्याप्त है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.1999 को प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 को विवादित संपत्ति के परित्याग से रोकने हेतु अंतरिम आदेश पारित किया गया था। उस तिथि पर प्रतिवादी क्रमांक 7 वाद का पक्षकार नहीं था, क्योंकि उसे दिनांक 02.01.2001 को वाद में पक्षकार बनाया गया। इसके पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश

पारित नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त अंतरिम आदेश नव-समाविष्ट प्रतिवादी पर भी लागू किया गया हो। अतः इसे विचारण न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

23. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 11431/1977 (सुधीन्द्र द्वारा दायर) में दिनांक 25.03.1983 को पारित आदेश भी प्रतिवादियों के पक्ष में सहायक नहीं है, क्योंकि वह आदेश दिनांक 30.08.1984 को पक्षकारों के मध्य हुए विभाजन से पूर्व पारित हुआ था। द्वितीयतः, उक्त रिट याचिका प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अपने दादा के माध्यम से दायर की गई थी, क्योंकि उस समय वह नाबालिग था। यह याचिका राज्य के विरुद्ध, विशेष भूमि अधिकरण, धारवाड़ द्वारा दिनांक 21.05.1976 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु दायर की गई थी। पर्याप्त सामग्री के अभाव में तथा वर्ष 1965 के कथित विभाजन से प्रभावित या लाभान्वित पक्षकारों को सम्मिलित किए बिना ही न्यायालय ने यह अभिलिखित किया कि ऐसे विभाजन के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

24. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। नियमित सर्वेक्षण सं. 106/2 एवं 44/4 के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष निरस्त किए जाते हैं। उक्त संपत्तियों को अपीलकर्ताओं के हिस्से में आने वाली संपत्तियाँ घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रमांक 7 (अब दिवंगत) द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 9 के पक्ष में सर्वेक्षण सं. 106/2 के संबंध में निष्पादित विक्रय विलेख को वैध ठहराया जाता है।

मामले का परिणाम: **अपीलें स्वीकार की गईं ।**

शीर्ष टिप्पणीयाँ अंकित ज्ञान द्वारा तैयार किया गया है।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।